राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(5)गृह–1/2021 जयपुर, दिनांक : 02.09.2022

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृखला की वर्ष 2021–22 की नियमिति विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 27.10.2021 के समय श्री हेमेन्द्र शर्मा/अमर चन्द (सामान्य), पुलिस निरीक्षक के विरूद्व महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के अन्तरिम आदेश दिनांक 08.09.2021 द्वारा परिनिन्दा का दण्ड प्रभावी था परन्तु श्री शर्मा द्वारा मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10417/2021 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 20.09.2021 की पालना में कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2021–22 की नियमित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा श्री शर्मा की पदोन्नति की अभिशंषा सीलड कवर में रखी गई।

श्री हेमेन्द्र शर्मा द्वारा परिनिन्दा के दण्ड दिनांक 08.09.2021 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई, जिसको स्वीकार करते हुए गृह विभाग के आदेश दिनांक 26.07.2022 के द्वारा उक्त परिनिन्दा के दण्ड को अपास्त किया गया है।

अतः राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2021–22 की दिनांक 27.10.2021 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री हेमेन्द्र शर्मा/अमर चन्द (सामान्य), पुलिस निरीक्षक को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर वर्ष 2021–22 में दिनांक 22.09.2021 की रिक्ति के प्रति एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10417/2021 में अंतिम निर्णय के अध्यधीन एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री हेमेन्द्र शर्मा/अमर चन्द की वरिष्ठता श्री मदन लाल विश्नोई/बुद्वाराम, (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री हेमेन्द्र शर्मा अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा श्री शर्मा को रिक्ति दिनांक 22.09.2021 से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

2/9/22

(जगवीर सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

2/9/22

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
T. No. 0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324

D:\ JHALA2020\DPC 2022-23\Promotion Order

Scanned with CamScanner